

कार्यालय आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता उत्तर प्रदेश।

परिपत्रांक सी-48/कृषि निवेश/बी-250(टीसी-1)दिनांक ::लखनऊ ::नवम्बर, 02 2017

1. समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक,
सहकारिता, उ०प्र० ।
2. समस्त सचिव/महाप्रबंधक,
जिला सहकारी बैंक लि० ।
3. समस्त जिला प्रबंधक
पी.सी.एफ. उ०प्र० ।

विषय—इफको उर्वरकों की दिनांक 14.09.2017 से आपूर्ति व फुटकर बिक्री दरों में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के परिपत्रांक सी-37/कृषि निवेश दिनांक 15.09.2017 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा इफको फास्फेटिक उर्वरकों की आपूर्ति व फुटकर बिक्री की दिनांक 14.09.2017 से दिनांक 31.10.2017 तक प्रभावी दरें संसूचित की गयी थी। इस सम्बन्ध में राज्य विपणन प्रबंधक इफको, लखनऊ के पत्रांक 3181-96 दिनांक 31.10.2017 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि फास्फेटिक उर्वरकों के बिक्री की दर जो दिनांक 31.10.2017 तक प्रभावी थी को दिनांक 31.12.2017 तक बढ़ा दिया गया है।

अतः इस कार्यालय के उक्त संदर्भित परिपत्रांक सी-37/कृषि निवेश दिनांक 15.09.2017 द्वारा फास्फेटिक उर्वरकों की बिक्री दर की अवधि दिनांक 31.10.2017 के स्थान पर दिनांक 31.12.2017 तक विस्तारित की जाती है।

इस कार्यालय के परिपत्रांक सी-37/कृषि निवेश दिनांक 15.09.2017 को उक्त सीमा तक संशोधित माना जाये।



(अजय चौहान)

आयुक्त एवं निबंधक
सहकारिता, उ०प्र०
लखनऊ।

परिपत्रांक : 48 / कृषि निवेश / बी-250(टी सी) दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. राज्य विपणन प्रबन्धक, इफको, 8, गोखलेमार्ग, लखनऊ ।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, पीसीएफ/यू०पी०सी०बी०, उ०प्र० ।
3. समस्त मण्डलीय उप/संयुक्त आयुक्त एवं उप/संयुक्त निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र० ।
4. अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक, (कम्प्यूटर/वेब मास्टर) सहकारिता, उ०प्र०, मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सम्बन्धित के ईमेल पर प्रेषण हेतु ।
5. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
6. प्रबन्ध निदेशक, पी०सी०एफ०, लखनऊ ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र० ।
8. समस्त मंडलायुक्त, उ०प्र० ।
9. प्रमुख सचिव, कृषि उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
10. अपर मुख्य सचिव, सहकारिता, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
11. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र०शासन, लखनऊ ।

(रामप्रकाश)

अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक(कृ०नि०)
सहकारिता, उ०प्र०
लखनऊ ।